




Grade B+ Accredited by NAAC



स्वामी विवेकानन्द
शाजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लोहाघाट (चम्पावत)

(एस०एस०जे० विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा से सम्बद्ध)

विवरणिका 2021–22



महाविद्यालय की संदृष्टि :-

“महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के विविध क्षेत्रों ज्ञान विज्ञान, शोध प्रसार, प्रशिक्षण एवं रचनात्मक परामर्शदाता की राष्ट्रीय चरित्र की छवि वाले सृजनात्मक ज्ञान केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित करना, जिसकी गुणवत्ता के लिये लोकप्रिय ख्याति हो तथा जो शिक्षार्थियों को उनकी सम्पूर्ण दक्षता को पहचानने तथा उसके व्यक्तित्व व राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण उपयोग करने की महान भावना के साथ राष्ट्र की प्रगति को उपलब्ध करा सके”।

महाविद्यालय के लक्ष्य :-

“पर्वतीय पृष्ठभूमि वाले प्रदेश एवं राष्ट्रीय चरित्र की भावना उजागर करने, उत्तराखण्ड को ज्ञान प्रदेश के रूप में स्थापित कर राष्ट्रीय उन्नयन में राज्य का योगदान महत्वपूर्ण रूप में सुनिश्चित करने हेतु उत्कृष्टता को प्रतिबद्ध नवीन दक्षताओं एवं नैतिक मूल्यों से प्रेरित गुणवत्तापूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन, शोध, प्रसार एवं परामर्श के द्वारा पारम्परिक एवं आधुनिक क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन एवं सम्प्रेषण तथा कला विज्ञान एवं संस्कृति के प्रवर्तन के माध्यम से मानव संसाधनों का अनुकूलतम विकास”।

महाविद्यालय में वर्ष 2021–22 के प्रवेश के लिये आवंटित रिक्त सीटों का विवरण—

1. विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	कुल सीटें
जन्तु विज्ञान— सेमें० – I	22	B.Sc.–ZBC- सेमें० – I	80
वनस्पति विज्ञान— सेमें० – I	27		
रसायन विज्ञान— सेमें० – I	27		
भौतिक विज्ञान— सेमें० – I	17	B.Sc. - PCM-सेमें० – I	133
गणित— सेमें० – I	40		

2. वाणिज्य संकाय

स्नातकोत्तर	कुल सीटें	स्नातक	कुल सीटें
एम० काम०— सेमें० – I	30	B.Com- सेमें० – I	133

3. कला संकाय

स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	कुल सीटें
भूगोल— सेमें० – I	33	हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान	674
अर्थशास्त्र— सेमें० – I	33		
संस्कृत— सेमें० – I	66		
अंग्रेजी— सेमें० – I	66		
हिन्दी— सेमें० – I	55		
राजनीति विज्ञान— सेमें० – I	66		
गृह विज्ञान— सेमें० – I	66		

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

लोहाघाट, चम्पावत (उत्तराखण्ड)

संक्षिप्त परिचय

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत) हिमालय की उपत्यकाओं से निस्सरित कलकल—ध्वनि से युक्त लोहावती सरिता के तट पर बसे लोहाघाट नगर में स्थित है। यहाँ की सुरम्य एवं शान्तिप्रदायनी प्रकृति महाविद्यालय की गरिमा एवं महिमा में चार चाँद लगाती है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1979 में बी०ए० एवं बी०कॉ० मिष्यों के साथ हुई थी। श्रेष्ठ प्रशासन, कर्मठ एवं प्रोत्साहक प्राध्यापकों, समस्त कर्मचारियों, उत्साही एवं जिज्ञासु विद्यार्थियों तथा जागरुक अभिभावकों के सहयोग के कारण इस महाविद्यालय की उत्तराखण्ड के परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थिति है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा विशिष्ट (आदर्श) महाविद्यालय के रूप में चयनित किया गया है तथा NAAC द्वारा B⁺ श्रेणी दी गयी है। वर्तमान समय में महाविद्यालय में स्नातक (बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉ०) के साथ ही स्नातकोत्तर (हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, गृह विज्ञान एवं एम० कॉ०, विज्ञान में एम०एस०सी० (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित) कक्षायें संचालित हो रही हैं। छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेशनल कैडेट कोर की सुविधाएं हैं। विद्यार्थियों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने के लिए विभागीय परिषदों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें अनेक शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

**सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की
स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर
(बी०ए० / बी०ए०स–सी० / बी०कॉम० / एम०ए० / एम०ए०स–सी० / एम०कॉम०) की कक्षाओं
में प्रवेश के नियम**
(सत्र 2020–21 से प्रभावी)

अध्याय 1— साधारण नियम—

- 1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत महाविद्यालयों में सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/समक्ष अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online पंजीकरण Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा।
- 1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online पंजीकृत आवेदनों के आधार पर अंतरिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/परिसर को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय/परिसर अंतरिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online पंजीकृत आवेदन में अंकित सूचनाओं की सम्यता का मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर Verification कर दिया गया हो।
- 1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार पंजीकरण किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित महाविद्यालय में अपने शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की दो-दो स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक को प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रवेश फार्म में बिन्दु-(क) तथा बिन्दु-(ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1.6 (क) कुमाऊँ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक $I=(X+2Y+2Z)$ के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।
(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा परन्तु यू०जी०सी० के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के “सेण्टर ऑफ एडवांस स्टडीज” विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्गत निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।

- (ग) प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी०ए० या बी०कॉम में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी०एस–सी० में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतदद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 1.7 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1.8 (क) जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
 (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1.9 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।
- 1.10 (अ) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 (ब) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप सजा के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रस्तर 1.8 (ख) के अन्तर्गत “धोखाधड़ी से प्रवेश लेना” माना जायेगा।
- 1.11 किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा नहीं किया हो।
- 1.12 वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode) से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य करणों से

उस वर्ष की परीक्षा में समिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में समिलित होने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही दी जा सकती है।

- 1.13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है-

1. अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3. ई0डब्लू0एस0 (मात्र सामान्य वर्ग के लिये)	10 प्रतिशत
4. अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नान-क्रीमीलेयर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)

नोट- महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा-

(1) महिलाएं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (**Horizontal Reservation**) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)

- 1.14 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।

- (i) Extension in date of admission upto 30 days.
- (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
- (iii) Increase in take capacity upto 5% course-wise.
- (iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.
- (v) Waiving of domicile requirements.
- (vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

- 1.15 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—

- (क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट-1, जी-2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
- (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर) 20 अंक

- (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन 20 अंक
- (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन 20 अंक
- (ङ.) विश्वविद्यालय की फर्स्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी 20 अंक

- (च) शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो। 25 अंक
 (छ) राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अन्तर विश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर 25 अंक

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो।

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर— 50 अंक

नोट:- उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1.16 यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक अवधा स्नाकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र में विषय संकाय/महाविद्यालय के लिए एक से अधिक विकल्प इंगित किये हों तो विषय/संकाय, महाविद्यालय के लिए परिवर्तन सम्बन्धित विषय/संकाय/महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध होने तथा अभ्यर्थी के अर्ह होने की दशा में परिसर, महाविद्यालय के स्तर पर विषय परिवर्तन किसी भी स्थिति में परिसर/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश पाये अभ्यर्थियों की सत्यापित सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने के उपरान्त स्वीकार्य नहीं होगा। महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश सूची के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह का समय अनुमन्य होगा।

- 1.17 प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा

(क) उत्तीर्ण करने के 02 वर्ष के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा विद्यार्थी को स्नातक में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि से स्नातक स्तर पर 5 वर्ष (10 सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष (08 सेमेस्टर) कुल 09 वर्ष का अध्ययनकाल (08 सेमेस्टर) (विधि/शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

- 1.18 सोबन सिंह जीन विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है स्नातकात्तर स्तर पर प्रवेश चाहने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाणपत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा करना अनिवार्य होगा।

- 1.19 एक सत्र में स्नातक/स्नातकात्तर (सेमेस्टर)/डिप्लोमा अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश

निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में किसी एक एड-ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6/2007(cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती है तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.20 प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत

(क) उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 5 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.21 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.22 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

**विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर
(बी0ए0 / बी0एससी0 / बी0कॉम0 / एम0ए0 / एम0कॉम / एम0एससी0) की
कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम**
(शिक्षा सत्र 2021–22)

अध्याय—2— योग्यता सूची निर्धारण के नियम—

- 2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यूजी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र-छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
- (क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता कम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगी—
- (1) कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
 - (2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
 - (3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - (4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- (ख) यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ग) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (यथा— स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर, महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला संकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवशोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशित छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित

छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

- 2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण—पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2.3 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/ पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर मात्र कुलपति जो अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।
- 2.4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन—पाठन प्रारम्भ किया जायेगा।
- 2.5 स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहां लागू हों)

Calculation of Index for P.G. I Semester Admission (Where ever applicable)

The following formula would be used for admission to P.G. I Semester Class-

$$I=X+2Y+2Z \text{ (Merit index)}$$

X= Marks obtained in practicals of all subject at UG Level

Y= Marks obtained in theory of all subjects taken at UG Level (This would include all the subject taken at UG Level)

Z= Total marks obtained in theory at UG Level in the subject in which admission is required at PG Semester class (Admission would be given to PG Semester-I, only in one of the subject taken at the UG level)

मान्यता प्राप्त एनोआईओएस० (National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पॉच विषयों का चयन करना होगा।

- 2.6 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा—

- (1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर (कला संकाय/विषय में) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अह माना जायेगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अह माने जायेगे।
- (2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अह होंगे, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही अभ्यर्थी अह होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।

सत्यापन के दौरान सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज—

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की डाउनलोड तथा अभिभावक माता/पिता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।
2. विधिवत हस्ताक्षरित अभिवचन, छात्र/अभिभावक घोषणा पत्र तथा एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 5. हाई-स्कूल प्रमाण पत्र।
 6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा अर्हकारी परीक्षा के अंकपत्रों की छाया प्रतियाँ।
 7. ईयर गैप के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र।
 8. अधिमान अंकों हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ (उदाहरणार्थ— एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, खेलकूद इत्यादि) विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.ssju.ac.in में निर्देशित है।
- नोट :** अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ अवश्य लायें साथ ही यह भी आग्रह है कि विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.ssju.ac.in में दिये गये प्रवेश नियमों को भली-भौति पढ़ लें।

विज्ञान संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम (बी०एससी०— प्रथम सेमेस्टर)

(क) प्रवेशार्थी को निम्नलिखित विषय समूह में से एक चयन करना होगा।

समूह 1. भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान / भूगोल

समूह 2. वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान / भूगोल

न्यूनतम अर्हता :— उत्तराखण्ड बोर्ड / सी०बी०एस०ई० बोर्ड / आई०सी०एस०ई० बोर्ड से 45 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

प्रवेशार्थी को IV सेमेस्टर में पर्यावरण विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम— प्रथम सेमेस्टर

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. जन्तु विज्ञान (22 स्थान) | 2. वनस्पति विज्ञान (27 स्थान) |
| 3. रसायन विज्ञान (27 स्थान) | 4. गणित (40 स्थान) |
| 5. भौतिक विज्ञान (17 स्थान) | 6. गृह विज्ञान (66 स्थान) |

उपर्युक्त सभी स्नातकोत्तर विषयों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश गुणांक निर्धारण प्रक्रिया से होगा।

कला संकाय स्नातक पाठ्यक्रम

(क) प्रवेशार्थी को निम्न विषय समूह में से चयन करना होगा।

विषय संयोजन					
A	B	C	D	E	F
अंग्रेजी साहित्य संस्कृत साहित्य	अर्थशास्त्र गृह विज्ञान मनोविज्ञान	भूगोल इतिहास	शिक्षाशास्त्र समाजशास्त्र	हिन्दी साहित्य गणित	राजनीति विज्ञान

(क) प्रवेशार्थी को उपरोक्त विषय—समूहों (ग्रुप) में से किन्हीं 3 समूह से केवल एक विषय का चुनाव करना होगा।

- * उपर्युक्त के अलावा प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत में से कोई एक का अनिवार्य प्रश्नपत्र का चुनाव करना होगा।
- * विद्यार्थी साहित्य के दो विषय अन्य विषयों के साथ भी ले सकते हैं।
- * विद्यार्थी को चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा।

न्यूनतम अर्हता :— आई०सी०एस०ई०/ सी०बी०एस०ई०/ उत्तराखण्ड बोर्ड/ अन्य बोर्ड से 40 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम— प्रथम सेमेस्टर

विषय	सीटें	विषय	सीटें
भूगोल	33	अंग्रेजी	66
अर्थशास्त्र	33	हिन्दी	55
संस्कृत	66	राजनीति विज्ञान	66
गृहविज्ञान	66		

उपर्युक्त सभी विषयों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

वाणिज्य संकाय

(क) स्नातक पाठ्यक्रम (बी० कॉम०)

बी०कॉम०— प्रथम सेमेस्टर, – 133

अनिवार्य अर्हता :— उत्तराखण्ड बोर्ड से 40 प्रतिशत अंकों के साथ या सी०बी०ए०स०ई० / आई०सी०ए०स०ई० / अन्य बोर्ड से 40 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा वाणिज्य विषय के अतिरिक्त अन्य विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

प्रवेशार्थी को IV सेमेस्टर में पर्यावरण विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम— प्रथम सेमेस्टर

एम०का०म० – 30

एम०का०म० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

नोट— प्रत्येक संकाय में अनुमन्य सीटों पर श्रेष्ठता क्रम के आधार पर निर्धारित तिथि तक ही प्रवेश दिये जायेंगे।

बी० एड० पाठ्यक्रम (स्व-वित्तपोषित)

आवंटित सीटें :— आवंटित सीटें— 55

प्रवेश प्रक्रिया— कुमाऊँ विश्वविद्यालय बी०ए०ड० प्रवेश परीक्षा द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वारा भेजे जायेंगे।

शुल्क विवरण— रु० 35,000/- (शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)
रु० 1,000/- (धरोहर राशि वापसी योग्य)

पाठ्यक्रम समन्वयक— डा० अशोक कुमार द्विवेदी फोन नम्बर— 9415478058

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2010–11 में अध्ययन केन्द्र संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिससे प्रदेश में सेवारत, दूरस्थ स्थानों में निवास करने वाले युवा विशेषकर महिलायें जो नियमित अध्ययन हेतु अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती हैं। उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित होकर सुगमता से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

MCA, MBA, MSW, M.A. - Education, Psychology, Journalism, Hindi, Sanskrit, English, Economics, Pol. Sci., History, Sociology, Geography, M.Sc. – Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, Env. Science, BCA, B.Com. B.A. – Arts, B.Sc. – ZBC, PCM , PGDCA , PGDJMC, PGDDM

Coordinator : Dr. Vimla Devi 9411900411

Co- Coordinator : Dr. S.P. Singh 9411130537

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

(क) प्रत्येक कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्रवेशार्थी के स्पष्ट हस्तलेख में भरा जाना चाहिए, आवेदन पत्र में समस्त विवरण एवं सूचनायें पूर्ण रूप से अंकित हो। आवेदन पत्र उल्लिखित (क) छात्र द्वारा शपथ के नीचे प्रवेशार्थी और (ख) पिता अथवा अभिभावक की घोषणा के नीचे पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य हों। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अपेक्षित है—

1. आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज के नवीनतम तीन फोटो चिपकाने होंगे। परिचय पत्र के लिए एक फोटो और नस्थी करनी होगी।
2. हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण — पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. हाईस्कूल के अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
4. इंटरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण—पत्र (मूल प्रति) (यदि प्रवेशार्थी के अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की हो तब किसी सांसद/विधायक/स्थानीय निकाय के अध्यक्ष अथवा राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय) जो कि छः माह से अधिक पुराना न हो।
6. पूर्व शिक्षण संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र।
7. पिछ़ड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित होने का प्रमाण—पत्र।
8. खेलकूद तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ।
9. विगत परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को उस विश्वविद्यालय का प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सार्टिफिकेट) जमा करना होगा।
10. (क) अन्य प्रमाण—पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ (जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है)।

(ख) द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रथम या द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक पत्र की अभिप्रमाणित प्रति लगाना आवश्यक होगा।

(ग) महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक तक ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(घ) महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्राचार्य द्वारा निर्धारित एवं सूचित दिनांक समय व स्थान पर आवेदन पत्रों की जाँच तथा प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करने के उपरान्त प्रवेशार्थी संस्तुति प्रदान करेगी। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

(ड.) प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित अवधि(शुल्क रसीद प्राप्त होने के तीन दिन) के भीतर कार्यालय द्वारा सूचित बैंक में शुल्क जमा न किये जाने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

बी०ए०, बी०कॉम० I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण (बिना प्रयोगात्मक)

विवरण	I & II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
स्थानान्तरण व चरित्र प्रमाण—पत्र	5.00	5.00	5.00
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांडी शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	3.00
योग	275.00	275.00	275.00
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	-	-	-
पर्यावरण अध्ययन	-	105.00	-
अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	1090.00	1195.00	1090.00
महायोग	1365.00	1470.00	1365.00

बी०ए० I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण (एक-प्रयोगात्मक)

विवरण	I & II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांडि शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	3.00
लेब शुल्क	240.00	240.00	240.00
योग	510.00	510.00	510.00
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	60.00	60.00	60.00
आन्तरिक व बाह्य परीक्षा शुल्क	70.00	70.00	70.00
पर्यावरण अध्ययन शुल्क	-	105.00	-
अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	1220.00	1325.00	1220.00
महायोग	1730.00	1835.00	1730.00

बी०ए० एवं बी०एससी० (गणित) I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण
(बी०एससी० / भूगोल— 2 प्रयोगात्मक)

विवरण	I & II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगाई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	240.00	240.00	240.00
लेब शुल्क	3.00	3.00	3.00
योग	510.00	510.00	510.00
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	60.00	60.00	60.00
आन्तरिक व बाह्य परीक्षा शुल्क	140.00	140.00	140.00
पर्यावरण अध्ययन शुल्क	-	105.00	-
अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	1290.00	1395.00	1290.00
महायोग	1800.00	1905.00	1800.00

बी०एससी० (बायो) I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण
(ZBC – सभी प्रयोगात्मक विषय)

विवरण	I & II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	240.00	240.00	240.00
लेब शुल्क	3.00	3.00	3.00
योग	510.00	510.00	510.00
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	60.00	60.00	60.00
आन्तरिक व बाह्य परीक्षा शुल्क	210.00	210.00	210.00
पर्यावरण अध्ययन शुल्क	-	105.00	-
अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	1360.00	1465.00	1360.00
महायोग	1870.00	1975.00	1870.00

एम०ए०/एम० काम० प्रथम/तृतीय सेमेस्टर बिना प्रयोगात्मक

विवरण	एम०ए०/एम०कॉम प्रथम/तृतीय सेम०
शिक्षण शुल्क	180.00
प्रवेश शुल्क	03.00
मंहगाई शुल्क	240.00
विकास शुल्क	24.00
पुस्तकालय शुल्क	10.00
कुल योग	457

क्रीड़ा शुल्क	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00
परिचय-पत्र शुल्क	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00
परिषद शुल्क	50.00
छात्र संघ शुल्क	50.00
विविध शुल्क	100.00
विद्युत शुल्क	60.00
जलापूर्ति शुल्क	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00
कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00
कम्प्यूटर इंटरनेट शुल्क	70.00
जनरेटर/इन्वर्टर शुल्क	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00
पी०टी०ए० शुल्क	30.00
कुल योग	1030.00
महायोग	1487.00

एस०सी०/एस०टी० के लिए कुल शिक्षण शुल्क $1487 - 180 = 1307=00$

एम०ए०, एम०एससी० प्रथम और तृतीय सेमेस्टर प्रयोगात्मक

विवरण	एम०ए० / एम०एससी० प्रथम / तृतीय सेमे०
शिक्षण शुल्क	180.00
प्रवेश शुल्क	03.00
मंहगाई शुल्क	240.00
विकास शुल्क	24.00
प्रयोगशाला शुल्क	240.00
पुस्तकालय शुल्क	10.00
कुल योग	697

क्रीड़ा शुल्क	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00
परिषद शुल्क	50.00
छात्र संघ शुल्क	50.00
विविध शुल्क	100.00
विद्युत शुल्क	60.00
जलापूर्ति शुल्क	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00
कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00
कम्प्यूटर इंटरनेट शुल्क	70.00
जनरेटर / इन्वर्टर शुल्क	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	60.00
आन्तरिक परीक्षा शुल्क	150.00
वाह्य परीक्षा शुल्क	150.00
कुल योग	1360.00
महायोग	2057.00

एस०सी० / एस०टी० के लिए कुल शिक्षण शुल्क $2057.00 - 180 = 1877.00$

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)
कक्षावार शुल्क विवरण : सत्र 2021–22

सेमेस्टर	धनराशि (शुल्क)
बी०ए० प्रथम सेमेस्टर (बिना प्रैक्टिकल विषय)	1365.00
बी०ए० प्रथम सेमेस्टर (01 प्रैक्टिकल विषय)	1730.00
बी०ए० प्रथम सेमेस्टर (02 प्रैक्टिकल विषय)	1800.00
बी०ए० तृतीय सेमेस्टर (बिना प्रैक्टिकल विषय)	1470.00
बी०ए० तृतीय सेमेस्टर (एक प्रैक्टिकल विषय)	1835.00
बी०ए० तृतीय सेमेस्टर (दो प्रैक्टिकल विषय)	1905.00
बी०ए० पंचम सेमेस्टर (बिना प्रैक्टिकल विषय)	1365.00
बी०ए० पंचम सेमेस्टर (एक प्रैक्टिकल विषय)	1730.00
बी०ए० पंचम सेमेस्टर (दो प्रैक्टिकल विषय)	1800.00
बी०कॉम० प्रथम सेमेस्टर	1365.00
बी०कॉम० तृतीय सेमेस्टर	1470.00
बी०कॉम० पंचम सेमेस्टर	1365.00
बी०एससी० प्रथम सेमेस्टर (PCM)	1800.00
बी०एससी० तृतीय सेमेस्टर (PCM)	1905.00
बी०एससी० पंचम सेमेस्टर (PCM)	1800.00
बी०एससी० प्रथम सेमेस्टर (ZBC)	1870.00
बी०एससी० तृतीय सेमेस्टर (ZBC)	1975.00
बी०एससी० पंचम सेमेस्टर (ZBC)	1870.00
एम०ए० / एम०कॉम० प्रथम सेमेस्टर (Gen/OBC)	1487.00
एम०ए०० / एम०कॉम० प्रथम सेमेस्टर (SC/ST)	1307.00
एम०ए० / एम०कॉम० तृतीय सेमेस्टर (Gen/OBC)	1487.00
एम०ए० / एम०कॉम० तृतीय सेमेस्टर (SC/ST)	1307.00
एम०ए० / एम०एससी० प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (Gen/OBC)	2057.00
एम०ए० / एम०एससी० प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (SC/ST)	1877.00
एम०ए० / एम०एससी० प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (Gen/OBC)	2057.00
एम०ए० / एम०एससी० प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (SC/ST)	1877.00

शुल्क राशियों से सम्बन्धित नियम

1. आवश्यक शुल्कादि जमा करने पर प्रवेशार्थी का नाम महाविद्यालय रजिस्टर में दर्ज हो जायेगा और उसे शुल्क रसीद व कक्षा में प्रवेश पत्र मिल जाएगा।
2. शुल्क की रसीद व कक्षा प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेशार्थी अपने चयनित विषय के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने के साथ-साथ पुस्तकालय कार्ड तथा परिचय पत्र भी बनवा सकेगा।
3. सभी छात्र-छात्राएँ नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। जिस छात्र-छात्राओं के परिचय पत्र खो गये हो अथवा नष्ट हो गये हो वह निर्धारित शुल्क जमा कर नये परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

कक्षा में उपस्थिति के नियम

1. प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को अपने टाइम-टेबल के अनुसार नियमित रूप से व्याख्यान कक्षाओं अथवा प्रयोगात्मक कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा।
2. विश्वविद्यालय के नियमानुसार उक्त कक्षाओं में पूरे शिक्षा सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित होगा।
3. अपेक्षा से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को सूचना पट द्वारा अथवा लिखित रूप से सत्र में दो बार चेतावनी दे दी जाती है और सत्रान्त में जिनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमानुसार कम पाई जाती है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।
4. जो विद्यार्थी महाविद्यालय टीम के साथ, महाविद्यालय टूर अथवा शिविर में कहीं जाते हैं वे वहाँ की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपने विषयों की कक्षाओं की उपस्थिति पंजिका में तत्सम्बन्धी उल्लेख करना होगा।

क्रीड़ा सम्बन्धी नियम

1. क्रीड़ा सामग्री केवल महाविद्यालय परिसर में खेलने के लिए ही निर्गत की जायेगी।
2. विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के लिए पहले टीम का गठन होगा। टीम के गठन की घोषित दिनांक को यदि छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार से सम्बन्धित खेल की टीम का पुनः गठन होगा।
3. प्रतियोगिता हेतु क्रीड़ा-सामग्री सम्बन्धित टीम के कप्तान के सुझाव के उपरान्त टीम के सदस्यों को यदि व्यक्तिगत रूप से निर्गत की जायेगी। सम्बन्धित सामग्री को लौटाने का सामूहिक उत्तरदायित्व टीम के कप्तान का होगा। टीम के सदस्य सामग्री को लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। क्रीड़ा सामग्री जमा न करने अथवा बदल देने पर सामग्री का पूर्ण मूल्य महाविद्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न होने पर सम्बन्धित छात्र को परीक्षा में बैठने से रोक दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय टीम केवल जिला स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय अथवा उच्च प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजी जायेगी तथा उसे नियमानुसार प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क, जलपान आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
5. महाविद्यालय में शारीरिक प्रवक्ता का पद नहीं है। अतः छात्र-छात्राओं का यह कर्त्तव्य है कि वे क्रीड़ा प्रभारी को अधिकतम सहयोग प्रदान करें।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

विद्यार्थियों की सहायता के लिए महाविद्यालय में पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय प्राध्यापक प्रभारी की देख-रेख में संचालित होता है। पुस्तकालय से पुस्तकें देते समय निर्धन या पिछड़ी जाति के छात्रों व अवकाश प्राप्त सैनिकों व प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों के आश्रितों को वरीयता प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

पुस्तकालय के नियम निम्नलिखित हैं—(क)

1. महाविद्यालय पुस्तकालय द्वारा कार्य दिवसों में 10 बजे पूर्वाहन से 01 बजे अपराह्न तक स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गत की जाती है प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन निश्चित होता है। शुल्क रसीद तथा परिचय पत्र दिखाकर विद्यार्थी निर्धारित दिवसों में पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।
2. शोध विद्यार्थी कार्य दिवसों में अपराह्न 01 बजे से 05 बजे तक वाचनालय में अध्ययन हेतु सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। शोध विद्यार्थी को शोध सम्बन्धी पुस्तकें शोध निर्देशक (प्राध्यापक) की संस्तुति के उपरान्त निर्गत की जायेगी।
3. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को अधिकतम छः पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी को एक बार में चार पुस्तकें (उपलब्ध होने पर छः पुस्तके) निर्गत की जायेंगी।
4. बुक बैंक के अलावा मुख्य पुस्तकालय से प्रत्येक छात्र की पुस्तक पढ़ने के लिए मात्र 14 दिन के लिए ही दी जायेगी 14 दिन के बाद पुस्तक न लौटाने पर अर्थदण्ड लिया जायेगा।
5. परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस करके पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने और निर्धारित अवधि में लौटाने का दायित्व विद्यार्थी का है एक बार ली गई पुस्तकों को वापिस करने के बाद ही अन्य पुस्तके प्राप्त कर सकते हैं।
7. पुस्तके लौटाते समय उसके फटे होने, पन्ने निकलने, खराब होने की दशा में विद्यार्थी को उसके बदले नई पुस्तक देनी होगी अथवा पुस्तक का पूरा मूल्य चुकाना होगा।

(ख)

1. पुस्तकालय से किसी छात्र-छात्रा को उपलब्ध होने पर अधिकतम दो पुस्तक दी जा सकती है।
2. छात्र-छात्रा को कुल निर्गत पुस्तकों के मूल्य की दस प्रतिशत रकम सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करनी होगी।
3. निर्गत पुस्तक परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व वापस करके पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. कटी-फटी या गुम पुस्तकों का पूर्ण मूल्य देय होगा।

छात्रों के आचार नियमः—

1. छात्र-छात्राओं को अनुशासित, विनम्र एवं शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिये।
2. छात्र-छात्राओं को नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट देखना चाहिए तथा सूचनाओं व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
3. छात्र-छात्राओं को प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना कोई सभा नहीं करनी चाहिए।
4. छात्र-छात्राओं को अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

5. छात्र-छात्राओं को एक आदर्श महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप आचरण रखना चाहिए।
6. महाविद्यालय की दीवारों पर थूकना, उस पर लिखना फर्नीचर तथा अन्य सम्पत्तियों को हानि पहुँचाना आदि को गम्भीर अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा इसके लिए दोषी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है तथा क्षतिपूर्ति भी कराई जायेगी।
7. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मद्यपान व गुटखा, तम्बाकू का सेवन वर्जित है।
8. छात्र-छात्राओं को अपने हितों से सम्बन्धित जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रभारी प्राध्यापक छात्र संघ से सम्पर्क करना चाहिए।
9. छात्र-छात्राओं को मुख्य प्रशास्ता (चीफ प्राक्टर) या अन्य किसी प्राध्यापक द्वारा मागे जाने पर अपना परिचय पत्र दिखाना चाहिए। अतः परिचयपत्र सदैव साथ लायें।
10. छात्र-छात्राओं को अनुशासन सम्बन्धी शिकायतों के लिए मुख्य प्रशास्ता (चीफ प्राक्टर) से मिलना चाहिए।
11. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के अनुशासन से सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। छात्र-छात्राओं की वेशभूषा से उनका परिचय झलकता है। इसलिए सामान्य वेशभूषा अपेक्षित है।
12. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येतर कार्यकलापों में सक्रिय भाग लेना चाहिए।
13. छात्र-छात्राओं को अपने पारस्परिक व्यवहार एवं निष्ठा से महाविद्यालय में चली आ रही अनुशासन की स्वरूप परम्परा को बनायें रखना चाहिए।
14. महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। मोबाइल का प्रयोग करते पाये जाने पर फोन जब्त किया जा सकता है।

वाचनालय

सामान्य ज्ञान वर्धन के लिए रिक्त वादनों में विद्यार्थी वाचनालय में बैठकर विभिन्न पत्र-पत्रिका का अध्ययन करते हैं वाचनलय में शान्तिपूर्ण आचरण अपेक्षित है, ताकि अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को असुविधा न होने पाये।

शास्ता—मण्डल

महाविद्यालय में गठित शास्ता—मण्डल द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को सुचारू रखना सुनिश्चित किया जाता है। शास्ता—मण्डल प्रत्येक दशा में गठित किया जाता है।

पाठ्येतर कार्य—कलाप

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्येतर कार्य—कलापों पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। इन कार्य—कलापों के द्वारा उनमें संगठन की योजना, नेतृत्व की क्षमता, सहयोग की भावना, भाषण की पटुता, नैतिक दृढ़ता और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है। महाविद्यालय के पाठ्येतर क्रिया कलापों में निम्नलिखित प्रमुख हैं—

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०):**— इस योजना के अन्तर्गत समाज सेवा सम्बन्धित कार्य एक दिवसीय व दस दिवसीय शिविरों में सम्पादित होते हैं। जैसे जन साक्षरता, वृक्षारोपण, ग्रामोत्थान, सामूहिक श्रमदान आदि।
2. **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०):**— छात्रों में सैनिक के गुणों का विकास कर उनमें राष्ट्र रक्षा की भावना जगाना उद्देश्य है। महाविद्यालय में 80 यू०ए०एन०सी० पिथौरागढ़ की इकाई सत्र 2004 से प्रारम्भ की गई है। 103 कैडेट की इकाई है जिसमें 33 प्रतिशत

स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित है। एन०सी०सी० में वयनित कैडेट से धरोहर राशि के रूप में रु० 350/- जमा करवाये जायेंगे, जो कैडेट द्वारा एन०सी०सी० छोड़ने पर उसके द्वारा उसको निर्गत सामग्री महाविद्यालय में जमा करने पर वापस किये जायेंगे।

3. **क्रीड़ा परिषदः**— छात्र-छात्राओं की खेल कूद सम्बन्धी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाली इस परिषद के तत्वावधान में महाविद्यालय के क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पादित होते हैं।
4. **सांस्कृतिक परिषदः**— छात्र-छात्राओं द्वारा संगठित यह परिषद महत्वपूर्ण अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ये कार्यक्रम मनोरंजन, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक होते हैं।
5. **छात्र संघः**— छात्र-छात्राओं के कल्याण की योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने वाले इस संघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कठिनाईयों को दूर करके उनमें संस्था के प्रति अनुराग जगाना है। इस संघ का चुनाव छात्र-छात्राओं द्वारा ही किया जाता है।
6. **विभागीय परिषदः**— महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग की अपनी विभागीय परिषद है जिसके तत्वावधान में वाद-विवाद, निबन्ध लेखन, सामान्य ज्ञान आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
7. **राष्ट्रीय पर्व** :— समस्त राष्ट्रीय पर्व व अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर भी महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सत्रान्त में वार्षिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह मनाया जाता है।
8. **रोवर्स रेन्जस** :— इसके द्वारा छात्रों में सेवा एवं अनुशासन की भावना जागृत की जाती है, प्रान्तीय स्तर पर भी शिविर आयोजित होते रहते हैं।
9. **प्रतियोगी कक्षाओं का संचालन** :— अनु० जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाता है।

अन्य नियम

1. **स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०)**
इसके लिए छात्र-छात्रा को देयक प्रमाण-पत्र तथा पांच रु० शुल्क सहित आवेदन करना पड़ता है। इसे जारी करने में सामान्यतया एक सप्ताह लगता है।
2. **चरित्र प्रमाण-पत्र**
महाविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थी को स्थायी चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करना पड़ता है। स्थायी चरित्र प्रमाण-पत्र टी०सी० के साथ दिया जाता है।
3. **परिचय पत्र की दूसरी प्रतिलिपि**
परिचय पत्र गुम होने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराने की प्रतिलिपि के साथ छात्र-छात्रा को पुनः परिचय पत्र शुल्क रु० 40/- तथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र सहित देना होगा।

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, चम्पावत
महाविद्यालय प्राध्यापक

शिक्षा सत्र 2021-22

प्राचार्य-डा० संगीता गुप्ता – 9359411473		
कला संकाय / सामाजिक विज्ञान संकाय हिन्दी विभाग		भौतिक विज्ञान विभाग
1. श्री दिनेश राम, असि० प्रो०	9456510545	1. डा० श्यामेन्द्र प्रताप सिंह, असि० प्रो० 9411130537
2. डा० वन्दना चन्द, असि० प्रो०	9627569423	2. श्रीमती नम्रता देव महर, असि० प्रो० 9458177749
संस्कृत विभाग		
1. डा० कमलेश शक्टा, असि० प्रो०	9410567014	1. श्री मनोज कुमार, असि० प्रो० 9411790874
2. श्री भूप सिंह धामी, असि० प्रो०	9412314671	2. श्रीमती प्रीति पंत, असि० प्रो० 9756164627
3. श्रीमती अनीता टम्टा, असि० प्रो०	8938845050	जन्मु विज्ञान विभाग
अंग्रेजी विभाग		1. डा० धर्मेन्द्र कुमार, असि० प्रो० 9412032748
1. डा० महेश कुमार त्रिपाठी, असि० प्रो०	9450530715	रसायन विज्ञान विभाग
2. श्री भगत राम लोहिया, असि० प्रो०	9410156994	1. कु० अनीता खर्कवाल, असि० प्रो० 9968595918
3. कु०मनीषा पाण्डेय, प्रवक्ता	9760002232	गणित विभाग
भूगोल विभाग		
1. डा० तौफिक अहमद, असि० प्रो० (सम्बद्ध)	9411745888	1. डा० सीमा नेगी, असि० प्रो० 9119068368
2. डा० सुमन पाण्डेय, असि० प्रो०	8979808981	2. कु० स्वाति बिष्ट, असि० प्रो० 8630337677
3. डा० पुष्पा, असि० प्रो०	9410792447	वाणिज्य संकाय
1. डा० अर्चना त्रिपाठी, असि० प्रो०	9410611044	1. डा० रवि सनवाल, असि० प्रो० 7830590130
2. श्री सुनील कुमार, असि० प्रो०	9756906594	2. डा० संदीप अग्रवाल, असि० प्रो० 9456197790
अर्थशास्त्र विभाग		
1. डा० अर्चना त्रिपाठी, असि० प्रो०	9410611044	3. कु० शान्ति, असि० प्रो० 9997146646
2. श्री सुनील कुमार, असि० प्रो०	9756906594	4. डा० सुखपाल सिंह रौतेला, असि० प्रो० (सम्बद्ध) 9634276986
राजनीति विज्ञान विभाग		
1. डा० प्रकाश लखेड़ा, असि० प्रो०	7579036572	5. श्री शेकर नाथ गोस्वामी, असि० प्रो० 8126384336
2. श्री रुचिर जोशी, असि० प्रो०	9690927096	6. डा० उमेश आर्या, असि० प्रो० (सम्बद्ध) 7830205841
गृहविज्ञान विभाग		
1. डा० विद्या कुमारी, असि० प्रो०	9415583460	7. श्री घनश्याम सिंह असि० प्रो० (सम्बद्ध) 9639149770
2. कु० सोनाली कार्तिक, असि० प्रो०	8630289770	बी०ए० विभाग (स्ववित्त पोषित)
1. डा० विमला देवी, असि० प्रो०	9411900411	1. डा० ए०के० द्विवेदी 9415478058
इतिहास विभाग		
1. डा० विमला देवी, असि० प्रो०	9411900411	2. डा० मनीषा नरियाल 8449439725
समाजशास्त्र विभाग		
1. डा० अनीता सिंह, एसो०प्रो०	9411538010	3. डा० दीपक चन्द्र 9412929571
2. ममता गंगवार प्रवक्ता	7409876978	4. डा० रामधन नोटियाल 8126314544
शिक्षाशास्त्र विभाग		
1. श्रीमती स्वाती मेलकानी, असि० प्रो०	9411538852	5. श्रीमती स्वाति जोशी 9719137627
मनोविज्ञान विभाग		
1. डा० रितु मित्तल, प्रोफेसर	9997530459	6. श्रीमती सरोज यादव 9454830014
		7. श्री सुनील कुमार 9456321113

**स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
लोहाघाट (चम्पावत)
शिक्षणेत्तर कर्मचारी**

कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
कार्यालय कर्मचारी		
श्री बसन्त सिंह रावत	मु0प्र० अधिकारी	6399206052, 9411796052
श्रीमती चन्द्रा जोशी	प्रवर सहायक	7351981943
श्री विनोद सिंह पाटनी	उपनल, आशुलिपिक	8958618003
श्री प्रेम गिरी	अनुसेवक	9761337553
श्री खुशाल सिंह	अनुसेवक	8650821349
श्री लक्ष्मी दत्त जोशी	अनुसेवक	9675737120
श्री मनोज जोशी	अनुसेवक	9917300214
श्री ब्रजमोहन, उपनल	अनुसेवक	6399089022
श्री रविन्द्र कुमार, उपनल	अनुसेवक	9756046266
श्री कमल किशन, पी0आर0डी0	अनुसेवक	7895128794
प्रयोगशाला कर्मचारी		
श्री दिनेश लाल पटवा	प्रयो.सहा. भौतिक विज्ञान	9627305349
श्री कमल सिंह	तकनीशियन / पुस्तकालय प्रभारी	9411579081
श्रीमती नीमा	प्रयो.सहा. भूगोल	9410585907
श्री उमेश पुनेठा	प्रयो.सहा. जन्तु विज्ञान	9568009014
श्रीमती कुसुमलता देवी	प्रयो.सहा. वनस्पति विज्ञान	6395471395
कु0 भावना	प्रयो.सहा. रसायन विज्ञान	7351427816
श्रीमती मीना मेहता	उपनल, प्रयो0सहा0	8057662256
बी0एड0 विभाग		
श्री प्रकाश सिंह ढेक	उपनल लेखाकार	7302003164
श्री कमल सिंह अधिकारी	उपनल लिपिक	7248625096
श्री योगेन्द्र सिंह धौनी	उपनल स्टोर कीपर	9760681898
श्री दीपक चन्द्र	उपनल अनुसेवक	9675866256
श्री पुष्कर पंत	उपनल अनुसेवक	9837940268
श्री प्रेम बल्लभ जोशी	उपनल अनुसेवक	8475091788

कुल-गीत

महान विद्या सदन हमारा
सदैव सविनय नमन हमारा

विराट नगराज के हृदय में
सुदेश कूर्मान्चल निलय में
उदित हुआ बोध का सितारा
सदैव सविनय नमन हमारा

पवित्र लोहावती के तट पर
सरस्वती का पुनीत मन्दिर
जहाँ मिला ज्ञान का सहारा
सदैव सविनय नमन हमारा

प्रदेश की नीति से प्रशासित
कला विज्ञान वाणिज्य से प्रकाशित
विकास की प्रेरणा की धारा
सदैव सविनय नमन हमारा

विवेक विज्ञान का जगाकर
अँधेरा अज्ञान का मिटाकर
विखेरता है प्रकाश न्यारा
सदैव सविनय नमन हमारा



